



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 06.09.2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 843/22 धारा 377/302/201 भादवि व 5M/6 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर आलाकत्ल ईंट का एक टुकड़ा, मृतक के कपडे व घटनास्थल से अभियुक्त की एक शर्ट बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 843/22 धारा 377/302/201 भादवि व 5M/6 पोक्सो अधिनियम से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनकी निशादेही पर आलाकत्ल ईंट का एक टुकड़ा, मृतक के कपडे व घटनास्थल से अभियुक्त की एक शर्ट बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1- प्रदीप पुत्र श्रवण निवासी ग्राम गुराना थाना बडौत जनपद बागपत ।

2- रहीसू पुत्र नूरे निवासी ग्राम गुराना थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- आलाकत्ल ईंट का एक टुकड़ा ।
- मृतक के कपडे ।
- घटनास्थल से अभियुक्त की एक शर्ट ।

पुछताछ का संक्षिप्त विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों प्रदीप व रहीसू ने पुछताछ पर बताया कि दिनांक 05.09.2022 की रात्रि को गांव के एक नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी थी तथा उसकी डेड बॉडी सुधीर के ट्यूबवेल की पानी की होदी में डाल दी है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्र0नि0 श्री नोवेन्द्र सिंह सिरोही थाना बडौत ।

2- व0उ0नि0 श्री शिवदत्त सिंह थाना बडौत ।

3-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना बडौत ।

4- है0का0 335 अनिल मिश्रा थाना बडौत ।

5-का0 738 बालकिशन थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 06-09-2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 213/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 24 अर्ध-अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 213/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 24 अर्ध-अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-युनुस पुत्र फैय्याज निवासी पट्टी भोजान करबा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 210/18 धारा 420/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 220/2019 धारा 379/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।

3- मु0अ0सं0 213/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 236/2022 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 24 अर्धधा अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर थाना दोघट ।

2-का0 991 नवीन कुमार थाना दोघट ।

3-एचजी 457 ओमकार थाना दोघट ।



**प्रेस नोट
थाना दोघट**

दिनाँक 06-09-2022

**थाना दोघट पुलिस ने थाना बडौत के मु0अ0सं0 708/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाना बडौत के मु0अ0सं0 708/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-राहुल पुत्र रविराज निवासी छछरपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 1158/21 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2- मु0अ0सं0 708/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री जनक सिंह चौहान थाना दोघट ।
- 2-का0 1045 सुधीर कुमार थाना दोघट ।
- 3-एचजी 457 ओमकार थाना दोघट ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 06.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 गाड़ी महिन्द्रा पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 05 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 01 गाड़ी महिन्द्रा पिकअप नं0 DL-1LB-8466 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 05 पशु बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 860/22 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-रोजू पुत्र शौकत निवासी माता कालोनी कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

2-मटौलू पुत्र चांद निवाली पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापर्वक भरे हुये 05 रास पशु
- एक अदद गाड़ी महिन्द्रा पिकअप न0 DL 1LB 8466

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 579 कौशल शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।

3-हो0गा0 346 दिनेश थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक

06.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1179/21 धारा 452/324/354/506/323 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1179/21 धारा 452/324/354/506/323 भादवि में वांछित अभियुक्त बब्बरभान को गिरफ्तार किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-बब्बरभान पुत्र यशवन्त सिंह निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-का० 479 कुलदीप शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।

3-का० 647 प्रवीण कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 06.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 857/22 धारा
147/148/149/427/447/511/452/323/504/506/354/354ख भादवि से
सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 857/22 धारा 147/148/149/427/447/511/452/



323/504/506/354/354ख भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों जगत सिंह व तेजपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-जगत सिंह पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-तेजपाल सिंह पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री विनय कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-का० 846 नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।

3-म०का० 762 कुसुम थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 06.09.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 384/22 धारा 324/307 भादवि में
वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.09.2022 को थाना खेकड़ा पर
वादी श्री सतपाल पुत्र श्री जुमलकिशोर
निवासी मौहल्ला विजयनगर करबा व थाना
खेकड़ा ने सूचना दी कि अभियुक्तगण
1.निकेन्द्र 2.चांदवीर उर्फ लाला 3.दीपक
4.काला निवासीगण मौ0 विजयनगर करबा
व थाना खेकड़ा ने उसके पुत्र पंकज पर जान
से मारने की नियत से चाकू से हमला किया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना
खेकड़ा पर मु0अ0सं0 384/22 धारा 324/307 भादवि पंजिकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 384/22 धारा 324/307 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों निकेन्द्र व चांदवीर उर्फ लाला को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-निकेन्द्र पुत्र कंवरपाल निवासी बाल्मीकि मौहल्ला कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-चांदवीर उर्फ लाला पुत्र चन्द्रपाल निवासी बाल्मीकि मौहल्ला कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री राजकुमार थाना खेकड़ा बागपत ।
- 2-का0 1035 मनोज पौनिया थाना खेकड़ा बागपत ।
- 3-का0 956 राजदीप सिंह थाना खेकड़ा बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकड़ा

दिनांक 06.09.2022

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 383/22 धारा 452/323/504/506
भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.09.2022 को थाना खेकड़ा पर वादी रोजू उर्फ रोजूद्दीन पुत्र रियासत निवासी मौहल्ला शेखपुरा कस्बा व थाना खेकडा ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.वाजीद पुत्र समीम 2.समीम पुत्र यासीन निवासीगण शेखपुरा कस्बा व थाना खेकडा द्वारा उसके घर में घुसकर उसको व उसके पिताजी व भाई के



साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 383/22 धारा 452/323/504/506 भादवि पंजिकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 383/22 धारा 452/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों समीम व वाजिद को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-समीम पुत्र यासीन निवासी मौ0 शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-वाजिद पुत्र समीम निवासी मौ0 शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कैलाश चन्द्र थाना खेकड़ा बागपत ।
- 2-का0 241 सचिन कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।
- 3-का0 856 पवन कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 06.09.2022

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता:-

1-दीपक पुत्र सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर निवासी 61 शिवराम पार्क लिलोढी मोड नियर ईशवर वाहिका थाना निहाल विहार पश्चिमी दिल्ली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री दिनेश कुमार
- 2-है0का0 398 अनुज कुमार



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 06.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 282/22 धारा 506 भादवि व 67 आईटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 282/22 धारा 506 भादवि व 67 आईटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त आकाश को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-आकाश पुत्र राकेश निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक अपराध श्री इन्द्रपाल सिंह ।

2-का0 1068 प्रवीण ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 06.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 257/22 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 257/22 धारा 498ए/ 323/504/506 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त मनीष को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-मनीष पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार ।

2-का0 44 संजीव कुमार ।